प्रेस नोट*

दिनाँक 14.10.2025

जनपद-संतकबीरनगर

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

•थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
•थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
•थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
•थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5995 द्वारा मारपीट में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5995 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत इंदरपुर बढ़या ठाठर से कालर क्रान्ति पुत्र राजकुमार निवासी इन्दरपुर बढ़या ठाठर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर ने मारपीट में स्वयं के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को इलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- मु0आ० राकेश साहनी, आ0 रणवीर कुमार कृष्णा, मु0आ0चा0 रामपाल यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 309 वाहनों से 3,38,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 14.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 309 वाहनों से 3,38,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

*** “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 13.10.2025 को मा0न्यायालय सी0जे0 (जे0डी0)जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा गोवध निवारण अधिनियम व पशु कुरता निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्तग को जेल मे बितायी गयी अवधि व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 32/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त रहमान बंजारा उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र टिकोरी बंजारा निवासी जमदाशाही थाना बाल्टरगंज जनपद बस्ती को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व11 पशु क्रूरता अधिनियम में जेल में बितायी गई अवधि व 2500 रुपये का अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में अवैध पटाखा परिवहन, बिक्री व भण्डारण करने वालों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान
थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 02 स्थानों पर 06 बोरी में करीब 100 किलोग्राम अवैध पटाखा किया गया जब्त
03 अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में किया गया अभियोग पंजीकृत

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री सर्वदवन सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आगामी त्योहर के दृष्टिगत अवैध पटाखों के परिवहन, बिक्री व भण्डारण पर रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपाधीक्षक (प्रशिक्षणाधीन) श्री अमित कुमार व प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा गठित टीम द्वारा दौरान चेकिंग बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पटाखे की दुकान क्रमशः नन्दौर बाजार व सहजनवा तिराहे पर लगाकर क्रमशः 01.अर्जुन बरनवाल व 02. श्याम बरनवाल पुत्रगण रामसुरेश बरनवाल निवासी ग्राम नावध थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर तथा 03. ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र स्व0 गौरीशंकर गुप्ता निवासी ग्राम कस्बा बखिरा सहजनवा रोड थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के द्वारा बिक्री किये जाने की सूचना जरिये मुखबिर खास मिलने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए क्रमशः 04 बोरी में करीब 75 किलोग्राम व 02 बोरी में 25 किलोग्राम अवैध पटाखा बरामद करते हुए क्रमशः मु0अ0सं0 386/25 धारा 9(बी) विस्फोटक अधिनियम 1884 व मु0अ0सं0 385/25 धारा 9(बी) विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

01.अर्जुन बरनवाल पुत्र रामसुरेश बरनवाल निवासी ग्राम नावध थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

02.श्याम बरनवाल पुत्र रामसुरेश बरनवाल निवासी ग्राम नावध थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

03. ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र स्व0 गौरीशंकर गुप्ता निवासी ग्राम कस्बा बखिरा सहजनवा रोड थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण-

नन्दौर बाजार से बरामद-

ग्रीन बम 32 अदद डिब्बा, चटाई 6 पीस , क्रेजी नट्स 13 कलर 3 अदद, ग्रेप नटस सुपरिम 3 पीस, मोरी छाप 6 अदद, फ्लावर फूट 3 डिब्बा, मोरीछाप 6 अदद, फेरी छाप जूम्बर 06 अदद फेरी छाप हनीमून 6 अदद, पेंटाप्लस 04 पीस, चटाई पटाखा 05 अदद, क्रेक जैम 2 अदद, काजा 1K फेस्टिव डिलाइट्स 1 अदद, 1K चटाई, टेस्को जम्बोरा 02 अदद, कबर रोटी 01 अदद, फेरी छाप वजिन्ल चाइल्ड पोजिटो – 04 अदद, बाहुबली स्पेशल सुतली बम 3 डिब्बा, डिलक्स बम 1 पीस, हेम्सा राइडर फायर 1 डिब्बा, 3 बाईकस, बोल्बो 12 साट, मिसाइल 1 डिब्बा, बेस्ट कोलड इण्डोर 2 डिब्बा, परकरी बरिजमल 1 डिब्बा ।

सहजनवा तिराहे से बरामद-

आसमानी बम डुअल कोर 3 पीस, चटाई 1 पैकेट, जवान टाइम बम 16पीस, बूम बूम चटाई 2 पैकेट, सुमरिम कलर बाल्स 150 3 पैकेट, 12 कलर सुपर 1 पैकेट, 12 डिलाइट 1 पैकेट, सुपर डिलक्स खुज्जा 1 पैकेट, फलावर पाट्स खुज्जा 2 पैकेट, पेपर बम 2 पैकेट, कलासिक सुपर 1 पैकेट, रेड पान्ट 1 पैकेट, टक्की छाप 8 पैकेट, क्रोको डायल 5 पैकेट, किन्ग कोबरा 3 बन्डल चटाई, मुना 2 पैकेट चटाई, जवान 2 पैकेट चटाई।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम

1.व0उ0नि0 हरिकेश भारती, 2.उ0नि0 श्री राममिलन साहनी, 3.का0 लवकेश यादव, 4.का0 अंगद यादव, 5.का0 प्रमोद शर्मा।

02. 1.उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिह, 2.का0 बालगोविन्द, 3.का0 प्रवेश यादव।